20/6/22 याचिका पेश हुई। अभियुक्त हाजिर नहीं
अभियुक्त जमानत पर है किन्तु कोई प्रतिनिधि
उपस्थित नहीं। न्यायालय समय समाप्त
तक कई 2 बार आवाज लगाई गई
किन्तु कोई हाजिर नहीं। ऐसी स्थिति
में अग्रिम कार्यवाही का बाद अवकाश होगी।
अवकाश पश्चात् से प्रारंभ किया जाता है।
याचिका की राशनप निर्णित इन्डाइज की
जाकर बाद अग्रग्रहण कार्यवाही आगे की जाय
मेरी ओर से निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

(नीता वसीटा)
सहायक
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.06.29 12:44:13 IST
Reason: SelfAttested